प्रेस विज्ञप्ति
13.02.2026

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), पटना ज़ोनल कार्यालय ने धन-शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई), पटना के तत्कालीन मुख्य महाप्रबंधक व क्षेत्रीय अधिकारी सदरे आलम से संबंधित एक मामले में 17,35,880/- रुपये की अचल संपत्ति को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। यह अनंतिम कुर्की आदेश सदरे आलम द्वारा आय से अनुपातहीन संपत्ति अर्जित करने तथा अपराध की आय को शोधित करने के संबंध में जारी किया गया है। कुर्क संपत्ति सदरे आलम के नाम पर पंजीकृत कृषि भूखंड के रूप में स्थित है।

ईडी ने सीबीआई, एसीबी, पटना द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 7 & 8 तथा धारा 13 (2) के साथ पठित धारा 13 (1) (बी) के तहत भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई), पटना के तत्कालीन मुख्य महाप्रबंधक व क्षेत्रीय अधिकारी सदरे आलम के विरुद्ध दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की। एफआईआर में आरोप लगाया गया कि उन्होंने अपने नाम पर ऐसी संपत्तियां अर्जित की थीं, जो उनकी आय के ज्ञात स्रोत से अनुपातहीन थीं। आरोप है कि जुलाई, 2021 और सितंबर, 2022 के बीच लगभग 89,09,713 रुपये की आय से ज़्यादा संपत्ति अर्जित की गई।

ईडी की जांच से पता चला कि गैर-कानूनी गतिविधियों से उत्पन्न आय को सदरे आलम ने एक जटिल धन-जाल के ज़रिए शोधित किया था। सदरे आलम से संबंधित बैंक खाता में भारी नगदी जमा की गई और फिर कई तरह के रूट से बैंक ट्रांसफर के ज़रिए अंतरित की गई। सीबीआई द्वारा चलाए गए तलाशी अभियान के दौरान अपने घर से बरामद 71,01,250 रुपये की नगदी के स्रोत के बारे में सदरे आलम कोई उपयुक्त वजह या दस्तावेजी सबूत प्रस्तुत नहीं कर पाए। इस मामले में कुल अपराध की आय रुपये 89,09,713/- है, जिसमें से रुपये 71,01,250/- नगदी और ज्वेलरी के रूप में सीबीआई, एसीबी, पटना ने पहले ही ज़ब्त कर लिए थे। तदनुसार, पीएमएलए, 2002 की धारा 5(1) के तहत, रुपये 17,35,880/- कीमत के कृषि भूखंड को अब अनंतिम रूप से कुर्क किया गया है।

आगे की जांच जारी है।